



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

01.03.

संख्या : 480-पारोअनु०-04 / पाट्राकालि-2024-134 / 2013

दिनांक: जुलाई, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 की धारा-4 के अन्तर्गत कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-198-पारोअनु०-04 / पाट्राकालि-2024-134 / 2013, दिनांक 23.03.2024 द्वारा पूर्व में गठित की गई आन्तरिक परिवाद समिति (Internal Complaint Committee) को पुनर्गठित करते हुए एतद्वारा निम्नानुसार आन्तरिक समिति (Internal Committee) का पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम	तैनाती स्थल	नामित	मो०नं०	ई-मेल
1.	श्रीमती ज्योति नन्दिनी	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत संचार एवं संगणकीकरण परिकल्पना मण्डल, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 10 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	अध्यक्ष	9415311238	jjyoti@nandani@gmail.com
2.	श्रीमती गरिमा कैंडा	अधिशाली अभियन्ता, विद्युत पारेषण परिकल्पना मण्डल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	सदस्य	9838406902	garimaofc@gmail.com
3.	श्री विनोद कुमार	अधिशाली अभियन्ता (सम्बद्ध) निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	सदस्य	9837857566	vinodkumar0790@gmail.com
4.	श्रीमती अंजू सिंह	कार्यालय सहायक-प्रथम, सम्बद्ध उप सचिव (पारेषण-प्रथम), उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।	सदस्य	7007224183	singhanju303@gmail.com
5.	सुश्री मधु गर्ग	अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य, एन०जी०ओ०	9335519777 8948098777	garg.madhuashok@gmail.com

2. उपरोक्त उल्लिखित आंतरिक समिति की अध्यक्षा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 में प्रदान किये गये दिशा निर्देशों के अनुपालनार्थ ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया (Procedure prescribed for submitting an online complained), सम्बन्धित अद्यतन नियम, प्राविधान एवं आंतरिक नीति (Relevant rules, Regulations & Internal Policies) को उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.upptcl.org पर उपलब्ध कराये जाने हेतु, अधिशाली अभियन्ता (वेब), सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर यथोचित कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेंगी।

3. उक्त समिति के कार्यक्षेत्र में उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के अन्तर्गत समस्त कार्यालय होंगे। समिति का यह दायित्व होगा कि यौन उत्पीड़न प्रतिषेध के सम्बन्ध में निर्धारित नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करें।

निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

संख्या : 480-पारोअनु०-04 / पाट्राकालि-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ
5. सचिव, उ०प्र० राज्य महिला आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

SICCA

2/8

7. संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
8. सचिव, महिला कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
9. अनु सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II)/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न प्रतिषेध आदि के सम्बन्ध में अपने कार्यालय हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 में निहित प्राविधानानुसार शिकायत समिति का गठन एवं अन्य कार्यवाही करके आन्तरिक परिवाद समिति की अध्यक्षता को सूचित करें।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. श्रीमती संगीता, अधीक्षण अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, (प्रणाली एवं नियन्त्रण), यू0पी0एल0एल0डी0सी0, गोमतीनगर, लखनऊ।
13. श्रीमती ज्योति नन्दिनी, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत संचार एवं संगणकीकरण परिकल्पना मण्डल, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, 10 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. श्रीमती गरिमा कैंडा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण परिकल्पना मण्डल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
15. श्री विनोद कुमार, अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- ✓ 16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अध्यक्षता, आन्तरिक परिवाद समिति से सामंजस्य स्थापित कर ऑनलाइन शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया (Procedure prescribed for submitting an online complained), सम्बन्धित नियम, प्राविधान एवं आंतरिक नीति (Relevant rules, Regulations & Internal Policies) को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट www.upptcl.org पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. श्रीमती अन्जू सिंह, कार्यालय सहायक-प्रथम, सम्बद्ध उप सचिव (पारेषण-प्रथम), उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. सुश्री मधु गर्ग, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, डी-122, साउथ सिटी, निकट अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ-226025।
19. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को www.upptcl.org पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,



(मुकुल सोनकर)
अपर सचिव (पारेषण)